यह निरीक्षण प्रतिवेदन **डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-II, राज्य कर, विकासनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-II, राज्य कर, विकासनगर के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.06.2018 से 02.07.2018 तक श्री एन.के. सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार, श्री निखिल गोस्वामी, बृज भूषण मणि त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.12.2017 से 20.12.2017 तक श्री पी.के. गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	**अर्जित राजस्व (₹ लाख में)**
2015-16	1821.17
2016-17	2052.46
2017-18	849.76 (वैट कर)

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	आवंटित बजट राशि (₹)	व्यय राशि (₹)	अवशेष/समर्पण (₹)
2015-16			
2016-17	लागू नहीं है।		
2017-18			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- डिप्टी- सहायक आयुक्त- माल एवं सेवा कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कर - निर्धारण** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-II, राज्य कर, विकासनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: **------- को विस्तृत जांच (राजस्व प्राप्ति) हेतु चयनित किया गया।**

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(ख)

प्रस्तर स-01 अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.80 लाख।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्योवाहरी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –II राज्य कर, विकासनगर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री फ्लेयर पेंस एंड स्टेशनरी इंडिया, सेलाकुई देहरादून कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि `7,99,244/- को विलंब से जमा किया गया था|

(विवरण संलगन)

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियामानुसार न्यूनतम `79,924/- का अर्थदण्ड अरोपणीय था जो नहीं किया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी के पक्ष की पुष्टि हो जाने पर विधिक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया|

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्र स.	व्यापारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की दिनाक	कर की धनराशि	न्यूनतम आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	सर्वश्री फ्लेयर पेंस एंड स्टेशनरी इंडिया, सेलाकुई देहरादून / टिन – 05008872712	2013-14	12/2013	28.01.2014	235490	23549
			01/2014 2nd QTR	05.03.2014 14-11-2013	343070 220684	34307 22068
					799244	79924

भाग 2 (ख)

प्रस्तर सं: 02 असत्यापित / अवैध फॉर्म C के विरुद्ध सम्व्यवहार के कारण कर का न्यूनारोपण ` 14.41 लाख|

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8(1) / 8(4) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय फॉर्म – C के विरुद्ध माल के खरीद / बिक्री पर रियायती दर का लाभ अनुमन्य होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –II राज्य कर, विकासनगर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाच में पाया गया कि व्योवहारी सर्वश्री हनीवेल इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड सिस्टम इंडिया लिमिटेड सेलाकुई कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के वाद में व्योवहारी द्वारा संगत वर्ष में निम्नलिखित केन्द्रीय फॉर्म – C के विरुद्ध ` 1,25,33,153/- के इलेक्ट्रिकल गुड्स की बिक्री 01% की रियायती दर से की गई थी जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य किया गया था|

क्र सं	केन्द्रीय फॉर्म – C सं	क्रेता व्योवहारी का नाम	धनराशि (Rs)
1.	HR/06C 5222145	Honeywell Electrical Devices & System India Ltd	63,26,627/-
2.	HR / 06C 5222146	-----do----	54,37,640/-
3.	HR / 06C 5222144	-----do----	7,68,886/-
			1,25,33,153/-

उक्त तीनो फॉर्म – C की जाँच**(website Tax Information Exchange System-Tinxsys)**पर किये जाने पर यह ज्ञात हुआ की ये तीनो फॉर्म – C वास्तव में क्रेता व्योव्हारी को सम्बंधित विभाग द्वारा जारी नहीं किये गये थे| पत्रावली की आगे लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि उक्त फॉर्मों का सत्यापन भी विभाग द्वारा नहीं कराया गया था|

इस प्रकार असत्यापित / अवैध फॉर्म – C के विरुद्ध रियायती दर का लाभ प्रदान किये जाने के कारण 11.5% की (12.5% – 1%) अन्तरीय दर से ` 14,41,313/- के कर का न्यूनारोपण हुआ|

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन फाँर्मो का सत्यापन किये जाने का आश्वासन दिया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
RS/CT/117/2017-18	01	01	STAN-02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-II, राज्य कर, विकासनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री प्रमोद कुमार जोशी	उपायुक्त (क0नि0)-2, विकासनगर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-II, राज्य कर, विकासनगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र